

फा.सं.4.4(1)/2023-सामान्य-I
भारत सरकार
संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली

ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ लोक सेवा आयोग में औषधि की आपूर्ति के लिए कैमिस्ट का पैनल तैयार करने हेतु।

संघ लोक सेवा आयोग को औषधि की आपूर्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थानीय कैमिस्टों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे '<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>' पर ऑनलाइन भाग लें।

निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.eprocure.gov.in/eprocure/app या <http://upsc.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

पात्रता मानदंड :-

1. कैमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र 20, 21 और 21-ग (रिटेल लाइसेंस को जारी रखने के लिए, यदि आवश्यक हो) में बोली प्रस्तुत करने की तारीख को अनिवार्यतः वैध लाइसेंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली खुलने की तारीख को तथा संविदा अवधि समाप्त होने तक उनका लाइसेंस वैध हो।
2. कैमिस्ट को राज्य के औषधि प्राधिकारियों द्वारा हरगिज दोषी नहीं ठहराया गया हो और औषधि और प्रसाधन अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं हो।
3. पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार पच्चीस लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि के विवरण सहित लेखा परीक्षित बैलेंस शीट इसके समर्थन में प्रस्तुत करनी होगी।
4. कैमिस्ट की दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 5 कि.मी. के भीतर स्थित होना चाहिए।
5. बोलीदाता के पास जी एस टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
6. बोलीदाता को आबंटित पैन की एक प्रति।

संघ लोक सेवा आयोग के पास बिना कोई कारण बताए कैमिस्टों से प्राप्त सभी या किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(टी. थियानखनमुआन)

अवर सचिव (सामान्य-1)

संघ लोक सेवा आयोग

फा.सं.4.4(1)/2023- सामान्य-I
भारत सरकार
संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली- 110069

ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ लोक सेवा आयोग में औषधि की आपूर्ति के लिए कैमिस्ट का पैनल तैयार करने हेतु।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय अध्यक्ष / सदस्यों, साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, आयोग के सलाहकारों और आयोग के स्टाफ को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस उद्देश्य से, संघ लोक सेवा आयोग ई-निविदा के माध्यम से आयोग कार्यालय को दवाओं / औषधियों की आपूर्ति के लिए पात्र स्थानीय कैमिस्टों से निविदाएं आमंत्रित करता है।

प्रस्तुत की जाने वाली धरोहर जमा राशि (ईएमडी) 19,000/- रु. (केवल उन्नीस हजार रुपए) है।

इच्छुक पक्षकार वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से निविदा दस्तावेज में दिए गए विस्तृत निबंधन और शर्तों को निःशुल्क, देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीख

खुली निविदा सूचना	: फा. सं. 4.4(1)/2023-सा. I
संगठन का नाम	: संघ लोक सेवा आयोग
जारी करने/ प्रकशित करने की तारीख	: 28.02.2023 को 1730 (बजे)
दस्तावेज डाउनलोड करने की आरंभिक तिथि	: 28.02.2023 को 1800 (बजे)
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	: 15.03.2023 को 1500 (बजे)
बोलियां अपलोड करने की अंतिम तारीख	: 15.03.2023 को 1500 (बजे)
तकनीकी बोली खोलने की तारीख	: 16.03.2023 को 1500 (बजे)
पत्राचार के लिए पता	: अवर सचिव (सामान्य-I), कमरा नं. 416, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग सचिवालय भवन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
वेबसाइट	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app http://upsc.gov.in

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

व्यय विभाग के निदेशों के अनुसार, यह निविदा दस्तावेज केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) ([URL:http://eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in)) पर प्रकाशित किया गया है। बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों का उपयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से सॉफ्ट कापियों में प्रस्तुत करनी होंगी। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सी पी पी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिक उपयोगी जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल ([URL:https://eprocure.gov.in/eprocure/app](https://eprocure.gov.in/eprocure/app)) पर सीपीपी पोर्टल पर “ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण” के लिंक पर क्लिक करके नामांकन (इनरॉल) करना अपेक्षित है जो निःशुल्क है।
2. नामांकन (इनरॉलमेंट) प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड निश्चित करना अपेक्षित होगा।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपने वैध ई-मेल पते तथा मोबाइल नं. को पंजीकृत करें। इन्हें सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
4. नामांकन (इनरॉलमेंट) हो जाने पर, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सीसीए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (उदाहरणार्थ सीफी / टीसीएस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III का प्रमाण-पत्र) को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जिससे उसका दुरुपयोग न हो।
6. उसके बाद बोलीदाता सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड डाल कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ की खोज करना:

- 1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न सर्च ऑप्शन मौजूद हैं ताकि विभिन्न पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदा की सर्च हेतु बोलीदाताओं को सुविधा हो। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदा की एडवांस्ड सर्च के लिए एक और विकल्प भी मौजूद है जिसमें बोलीदाता अनेक खोज पैरामीटरों जैसे

संगठन का नाम, संविदा प्रपत्र, स्थान, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को ढूढने के लिए शामिल कर सकते है ।

- 2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद, बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा अनुसूची डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'माई टेंडर' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं। यह सी पी पी पोर्टल, एस एम एस / ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले किसी शुद्धि पत्र की जानकारी प्रदान कर सकेगा।
- 3) यदि बोलीदाता, हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं, तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए।

बोली तैयार करना:

- 1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- 2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज़ों की जानकारी ले लें। कृपया लिफाफे की संख्या जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- 3) बोलीदाता को, अग्रिम रूप से, निविदा दस्तावेज़ / अनुसूची में बताए अनुसार बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सामान्यतः ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / आर ए आर / डी डब्ल्यू एफ / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेज़ों को श्याम तथा श्वेत विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन की हुई दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में सहायता करती है।
- 4) मानक दस्तावेज़ों, जिन्हें प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के समान सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उपलब्ध "माई स्पेस" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" पर प्रस्तुत किया जाए और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

टिप्पणी: माई डाक्यूमेंट स्पेस, अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान करने हेतु बोलीदाता को दिया गया रिपोजटरी मात्र है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज़ों को माई डाक्यूमेंट स्पेस में अपलोड किया है, तो यह अपने आप सुनिश्चित नहीं करता कि ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली के भाग हैं।

बोली प्रस्तुत करना :

- 1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप से साइट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।
- 2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार अपेक्षित बोली दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना है।
- 3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क / धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण भरना होगा।
- 4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / व्यक्तिगत रूप से निविदा प्रक्रिया अनुभाग में बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप, व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के समय के दौरान भरे गए आंकड़ों से कर लेना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 5) बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि उन्हें दिए गए प्रपत्र में ही अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करनी चाहिए और अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। यदि वित्तीय बोली निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओक्यू फार्मेट में दिया जाता है, तो उसे ही डाउनलोड किया जाना और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बी ओक्यू फाइल डाउनलोड करना, उसे खोलना तथा अपनी संबंधित वित्तीय बोलियों और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता के नाम के रूप में) के साथ श्वेत पत्र (असुरक्षित) कोष्ठकों को भरना अपेक्षित होगा। कोई अन्य कोष्ठक परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरे हो गए तो, बोलीदाता बिना फाइल का नाम बदले सेव करें तथा इसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि बी ओ क्यू फाइल बोलीदाता द्वारा संशोधित पाई जाती है तो, बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- 6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीदाता द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने, बोलियां खोलने आदि की अंतिम तारीख के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।
- 7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ पी.के.आई इन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट का प्रयोग कर बोलियों की गोपनीयता बनाई रखी जा सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। कोई भी बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर में अपलोड किया जाता है,

प्रणाली सृजित सिमेट्रिक की (कुंजी) का प्रयोग करते हुए सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अधधीन है । इसके अतिरिक्त इस (कुंजी) के क्रेता / बोली खोलने वाले की पब्लिक की (कुंजी) का प्रयोग करते हुए असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अधधीन है ।

- 8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ बोली खोलने वाले प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।
- 9) बोली के सफल तथा समयबद्ध रूप से प्रस्तुत कर लेने पर (अर्थात् पोर्टल में “फ्रीज बिड सबमीशन” क्लिक करने के पश्चात्) पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी अन्य संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।
- 10) बोली का संक्षिप्त विवरण मुद्रित किया जाना है और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खुलने की किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पत्र (प्रवेश पत्र पास के रूप) में प्रयोग में लाया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

- 1) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा संबंधी निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में बताए गए संगत व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।
- 2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ-ताछ के लिए 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित किया जा सकता है। **24X7 हेल्प डेस्क का नं. 0120-4200462, 0120-4001002 है ।**

खंड- I

1. कार्यक्षेत्र

पैनल में शामिल किए गए कैमिस्ट, जिन्हें पैनल में शामिल प्राधिकृत कैमिस्ट के रूप में जाना जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा जारी किए गए इंडेंट के अनुरूप निर्धारित समय में अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) (सभी करों सहित) पर तय की गई छूट की समान दर पर दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करेंगे।

2. पात्रता

2.1 कैमिस्ट की दुकान कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) से लगातार अस्तित्व में हो। (पिछले दो वर्षों के लाइसेंस की प्रति को स्कैन करके ई-निविदा मॉड्यूल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)

2.2 कैमिस्ट की दुकान / प्रतिष्ठान, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से 5 कि.मी. क्षेत्र के भीतर स्थित होना चाहिए।

2.3 बोलीदाताओं को 19,000/- रुपए (केवल उन्नीस हजार रुपए) की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत करनी होगी।

2.4 पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) से कम नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को हानि और लाभ के समर्थन में पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिट की गई बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।

2.5 ऐसे कैमिस्ट / व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके कई आउटलेट हैं और लेखांकन के प्रयोजन से अपने कारोबार को एक-साथ जोड़ते हैं, उन्हें निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उनके कारोबार को दुकान / रिटेल आउटलेट के अनुसार नहीं बल्कि सभी आउटलेटों के लिए संयुक्त रूप से लिया जाएगा।

2.6 कैमिस्ट के पास बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख और बोली खुलने की तारीख को भी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उसके पश्चात् किए गए संशोधनों के अंतर्गत कैमिस्ट की दुकान चलाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस नामतः फार्म 20 और 21, और 21-ग (रिटेल को जारी रखने के लिए, अर्थात् फार्म 20 और 21, यदि आवश्यक हो) होने चाहिए। सफल बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा अवधि की समाप्ति तक उनके लाइसेंस वैध हैं। (निविदा प्रस्तुत करते समय सभी संगत दस्तावेज स्कैन करके ई-निविदा वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।) यदि बोलीदाता ने अपने औषधि लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपने किसी भी लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 01 माह के अंदर आवेदन

किया है, तो राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए नवीकरण आवेदन की प्राप्ति की प्रति अपलोड की जानी जरूरी है।

2.7 कैमिस्ट को राज्य औषधि प्राधिकरणों द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया हो और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए और उसे 'राज्य औषधि नियंत्रक या औषधि लाइसेंस या दोष रहित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए इसके द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति प्राप्त शहर के किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त दोष रहित प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ शपथ-पत्र / वचनबंध सहित किसी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.8 बोलीदाता के नवीनतम जीएसटी जमा चालान की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। इसकी एक प्रति को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाए।

2.9 **सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।**

3. **मूल्यांकन**

3.1 सफल बोलीदाता अर्थात् एच1 बोलीदाता अधिकतम रियायत देने वाला बोलीदाता होगा। तथापि, यदि कोई चयनित एच1 बोलीदाता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो उसकी धरोहर जमा राशि (ईएमडी) को जब्त कर लिया जाएगा और एच2 बोलीदाता (एच1 के ठीक बाद कम रियायत देने वाला बोलीदाता) को एच1 बोलीदाता की रियायत को पूरा करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। एच 2 बोलीदाता द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर एच1 रियायत पर यह प्रक्रिया अंतिम पात्र बोलीदाता की बारी आने तक जारी रखी जाएगी। बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अधिकतम से न्यूनतम रियायत (घटते क्रम में) के क्रम की श्रेणी को घटते क्रम में रखा जाएगा और इन्हें एच1; एच2; एच3 आदि कहा जाएगा।

3.2 यदि एक से अधिक बोलीदाता अधिकतम रियायत देने का प्रस्ताव रखता है तो टाई ब्रेकर किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से कैमिस्ट की दूरी, टाईब्रेकर होगी और संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से सबसे निकटतम कैमिस्ट को निविदा दी जाएगी।

4. **बोली की लागत**

संभावित बोलीदाता कैमिस्ट ई-बोली की तैयारी और उसे प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। संघ लोक सेवा आयोग किसी भी मामले में निविदा प्रक्रिया के संचालन और परिणाम का ध्यान किए बिना इन लागतों के लिए जिम्मेदार या भागी नहीं होगा।

निविदा की उपलब्धता : निविदा दस्तावेज सीपीपीपी ई-प्रापण वेबसाइट अर्थात् <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> या <http://upsc.gov.in> पर उपलब्ध है। इस निविदा में भाग लेने के इच्छुक संभावित बोलीदाता ऊपर उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज को निःशुल्क देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

5. **बोली प्रक्रिया, बोली पर हस्ताक्षर और बोली प्रस्तुत करना।**

5.1 बोलीदाता को अपनी ई-बोली को अनिवार्यतः दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा:

भाग 1 :- “तकनीकी बोली” कहलाता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) धरोहर जमा राशि:

बोलीदाताओं को धरोहर जमा राशि के रूप में “सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली” के पक्ष में देय 19,000/- रुपए (मात्र उन्नीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः किसी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। मूल धरोहर जमा राशि/डिमांड ड्राफ्ट को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय से पहले अवर सचिव (सामान्य-1), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110069 को अवश्य भेज दिया जाए या व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाए। बोली के साथ धरोहर जमा राशि /बैंक ड्राफ्ट न होने पर बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) बोलीदाताओं की पात्रता निर्धारित करने संबंधी दस्तावेज (तकनीकी बोली) :

निम्नलिखित दस्तावेजों को सर्वप्रथम बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं साक्षात्कृत (सेल्फ अटेस्टिड) किया जाना चाहिए और फिर ई-निविदा प्रस्तुत करते समय उन्हें निम्नानुसार स्कैन करके अपलोड करना चाहिए।

- क) 19,000/- रुपए (मात्र उन्नीस हजार रुपए) धरोहर जमा राशि/डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति।
- ख) बोली प्रस्तुत करने की तारीख को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्दिष्ट प्रपत्रों (प्रपत्र 20, 21 और 21-ग जहां लागू हो) में पिछले प्रत्येक दो वर्षों 2020-21 और 2021-22 के वैध लाइसेंसों की विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां तथा प्रत्येक वैध लाइसेंस बोलीदाता के पास होना चाहिए। सफल बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोली खुलने की तारीख से तथा संविदा अवधि समाप्त होने की तारीख तक उनके लाइसेंस वैध हों।
- ग) अनुबंध-ख के अनुसार बोलीदाता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर की गई घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाए।
- घ) निविदा दस्तावेज के खंड 5.2 (ख) i, ii, iii के अनुसार संगत विलेखों उदाहरणार्थ स्वामित्व / साझेदारी विलेख की स्कैन की गई प्रतियां।

- ड) जमा किए गए जीएसटी के नवीनतम चालान की स्कैन की गई प्रति।
- च) 'राज्य औषधि नियंत्रक या उनके द्वारा शहर में औषधि लाइसेंस या दोष रहित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्राप्त किसी अन्य अधिकारी से दोष रहित प्रमाण-पत्र' की स्कैन की गई प्रति।
- छ) बोलीदाता के कारोबार को दर्शाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के लिए ऑडिट की गई बैलेंस शीट की स्कैन की गई प्रतियां।
- ज) स्वामित्व या फर्म, जैसा भी मामला हो, के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति।
- झ) इस आशय के वचनबंध की स्कैन की गई प्रति जिसमें यह कहा गया है कि "बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज के सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है और वे बोलीदाता को स्वीकार्य हैं"। इस वचन-पत्र की स्कैन की गई प्रति पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

भाग 2 :- "मूल्य बोली" कहलाता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- क) बीओक्यू फॉर्मेट में मूल्य बोली को अपलोड किया जाए।

नोट :- कोई भी बोलीदाता 15% से कम की रियायत नहीं दे सकता है, इससे अधिक की वृद्धि केवल दो दशमलव प्वाइंट में होनी चाहिए, उदाहरण के लिए, 15.20%, 16.40%, 18.23% इत्यादि के रूप में रियायत दी जा सकती है। यदि समान रियायत दर पर दो बोलियां प्राप्त होती हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग से दूरी के आधार पर बोलीदाताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि दोनों की रियायत दर तथा दूरी समान है तो पिछले दो वित्तीय वर्ष (2020-21 एवं 2021-2022) के उच्चतर संचित कारोबार के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

5.2

क. यदि खंड - 5.1 (ख) में मांगी गई अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली अस्वीकृत किए जाने की भागी होगी।

ख. बोली और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वह निम्नलिखित के तौर पर हस्ताक्षर कर रहा/ रही है :-

- i. फर्म के एकमात्र मालिक, या ऐसे मालिक के नियत अटॉर्नी ।
- ii. फर्म के भागीदार, यदि वह भागीदारी फर्म है और इस स्थिति में उसके पास हस्ताक्षर करने, उत्तर देने और विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने का स्पष्ट विधिक अधिकार अवश्य हो।
- iii. नियत अटॉर्नी /प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यदि वह एक कंपनी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त (ii) के मामले में, भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड), जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रति नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित और इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी भागीदार साझेदारी के निष्पादन को स्वीकार करते हैं और जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपलोड किया जाना चाहिए।

2. ऐसे साझेदारी फर्म के मामले में, जहां व्यवसाय या साझेदारी से संबंधित विवादों को ऐसे किसी साझेदार को भेजने के लिए किसी को प्राधिकृत नहीं किया गया है, वहां बोली और अन्य संगत दस्तावेजों पर अनिवार्यतः प्रत्येक साझेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बोली प्रपत्र या बोली के भाग के रूप में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के लिए यह माना जाएगा कि उसे ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए कृत्य करने का प्राधिकार है। यदि जांच करने पर यह मालूम होता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग अन्य सिविल और आपराधिक उपायों के संबंध में बिना किसी पूर्वधारणा के संविदा को रद्द कर सकता है और इससे प्रोद्भूत सभी लागतों और आने-जाने के खर्च के लिए उस हस्ताक्षरकर्ता को जिम्मेदार ठहरा सकता है।

5.3 बोली की वैधता की अवधि

बोली, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बोली खोलने के लिए निर्धारित की गई तारीख के पश्चात् 90 दिनों तक स्वीकार करने के लिए वैध होगी और संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर इसे आगे 90 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5.4 संविदा की अवधि

संविदा प्रारंभ में इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से ही केवल संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर संविदा के उन्हीं निबंधन और शर्तों पर संविदा को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5.5 किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी समय किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, इससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के लिए कोई देयता तथा कार्रवाई के आधारों के बारे में प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं को सूचित करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग स्वयं यह वचन नहीं देते हैं कि वे अधिकतम छूट प्रदान करने वाली बोली या किसी भी बोली को स्वीकार करेंगे और उनके पास संपूर्ण बोली या बोली के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोलीदाता उद्धृत दरों पर दवाओं की आपूर्ति करेगा।

5.6 कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि गारंटी

सफल बोलीदाता को अनुबंध - क के फॉर्मेट के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी जो संविदा की अवधि के बाद 6 माह (अर्थात् 18 माह के लिए) के लिए वैध हो या "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली" के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 66,500/- रुपए (मात्र छयासठ हजार पाँच सौ रुपए) की कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा पर देय उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। संविदा को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, निष्पादन गारंटी का नवीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि बढ़ाई गई संविदा अवधि की वैधता से आगे छः माह तक वैध रहे। बोलीदाता को बढ़ाई गई अवधि के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की वैधता सुनिश्चित करनी होगी।

5.7 भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण

(i) संघ लोक सेवा आयोग यह अपेक्षा करता है कि बोलीदाता निविदा प्रक्रिया के दौरान और बाद में ऐसी संविदा के निष्पादन के दौरान नैतिकता और आचरण के उच्चतम मानक का पालन करें।

(ii) इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

(क) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है निविदा प्रक्रिया में या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवान पेशकश करना, प्रदान करना, प्राप्त करना या इसकी मांग करना; और

(ख) “कपटपूर्ण आचरण” का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग के अहित के लिए निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के क्रम में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना और इसमें बोलीदाताओं के बीच (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कपटपूर्ण आचरण भी शामिल है जो कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों पर बोली मूल्य को तय करने के लिए किया गया हो और संघ लोक सेवा आयोग को मुक्त और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित करना है ;

(iii) यदि प्रश्नगत संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग यह अभिनिश्चित करता है कि संविदा पाने के लिए अनुशंसित बोलीदाता स्वयं भ्रष्ट या कपटपूर्ण संव्यवहारों में शामिल रहा है तो आयोग संविदा प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

(iv) यदि संघ लोक सेवा आयोग किसी भी समय यह अभिनिश्चित करता है कि फर्म प्रतिस्पर्धा के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान भ्रष्ट या कपटपूर्ण संव्यवहार में शामिल थी, तो आयोग उक्त फर्म को अनिश्चित काल के लिए या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपात्र घोषित कर देगा।

5.8 जब्त करना

यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी निविदा को वापस ले लेता है या सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता निम्नलिखित में विफल रहता है तो धरोहर जमा राशि को जब्त किया जा सकता है :-

- i. निबंधन और शर्तों के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करना, और
- ii. निबंधन और शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करना।

6. बोली प्रस्तुत करना

बोलीदाता केवल ई-निविदा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से ही सभी बोली दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

6.1.1 ऑनलाइन बोलियां (हर प्रकार से पूर्ण) अनिवार्यतः [‘http://eprocure.gov.in/eprocure/app’](http://eprocure.gov.in/eprocure/app) पर अपलोड की जानी चाहिए।

6.1.2 यदि बोली प्रस्तुत करने की तारीख को भारत सरकार द्वारा अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो बोली प्रस्तुत करने के लिए अगले कार्य दिवस को बोलियां प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा। समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6.1.3 विनिर्दिष्ट फॉर्मेट और नामावली के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.1.4 अस्पष्ट बोलियों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.1.5 टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7. मूल्य निर्धारण

बोलीदाता को संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सभी मदों के संबंध में स्ट्रिप/बोतल/पैक की गई यूनिट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) (सभी कर सहित) पर समान रियायत प्रतिशत में उद्धृत करना होगा। उद्धृत किया गया प्रस्ताव सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर होगा और यह संविदा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थायी एवं नियत रहेगा।

8. बोलीदाता के परिसर का निरीक्षण

यदि इस खंड में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी बोली की पात्रता पूरी होती प्रतीत होती है, तो बोलीदाता के परिसर का निरीक्षण अधिकारियों के एक दल द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, जिसका नेतृत्व कम से कम अनुभाग अधिकारी रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा :-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर दुकान के स्थान का वास्तविक सत्यापन।
- (ख) बोली के दौरान पूर्व में अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों का सत्यापन।
- (ग) उचित कोल्ड-चेन अनुरक्षण सुविधाओं और पॉवर बैक अप सिस्टमों की उपलब्धता।
- (घ) रिटेल आउटलेट की मौजूदगी।
- (ङ) वाणिज्यिक बोली खुलने से पूर्व दवाओं के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता और वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाना।

दल द्वारा बोलीदाता के दावों की सत्यता से संतुष्ट न होने की स्थिति में उसे आगे की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

9. बोलियां खोलना

बोलियां ई-निविदा पोर्टल '<http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app>' के माध्यम से ऑनलाइन खोली जाएंगी।

9.1 धरोहर जमा राशि (ईएमडी) (वास्तविक) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त ऑनलाइन बोलियां (हर तरह से पूर्ण) खोली जाएंगी। धरोहर जमा राशि के बिना प्राप्त बोली को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.2 केवल ऐसे बोलीदाताओं की तकनीकी बोली का बाद में मूल्यांकन किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं।

9.3 केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को आगे मूल्यांकन के लिए बाद में खोला जाएगा जिनकी बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से योग्य पाया जाता है।

10. विविध

10.1 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली को इस संविदा अवधि के दौरान एक ही समय में या किसी भी समय एक या अधिक पात्र कैमिस्टों के साथ संविदा करने का अधिकार है।

10.2 सफल बोलीदाता की धरोहर राशि को संविदा निष्पादन करने और कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत किए जाने पर बोलीदाता को वापस लौटा दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि को निविदा की शुरुआत होने के 30 दिनों के भीतर निर्मुक्त वापस कर दिया जाएगा।

10.3 औषधि प्राप्त करने की मासिक मूल्य लगभग 70,000/- रुपए से 80,000/- रुपए है। इसलिए, निविदा का वार्षिक मूल्य लगभग 9,00,000/- रु. से 10,00,000/- रु. तक है।

11. निकासी खंड

पैनल में शामिल किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट की संविदा को संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा कम से कम तीन माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, नोटिस की अवधि दूसरे पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रारंभ होगी।

खंड - II

संविदा की शर्तें

1. भिन्न ब्रांड की दवाई स्वीकार नहीं

दवाइयों की विशिष्ट ब्रांड के मांग-पत्र के मामले में, उस ब्रांड के स्थान पर अन्य ब्रांड की दवाइयां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

2. सप्लाई की सुपर्दगी

मासिक दवाइयों का मांग-पत्र प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। मासिक रूप से इंडेंट की जाने वाली सारी दवाइयों की सुपर्दगी इंडेंट प्राप्ति के 2-3 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर में कर दी जाएगी। प्रतिदिन इंडेंट की गई दवाइयां तत्काल प्रकृति की होती है तथा उसी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान आपूर्ति की जाएगी। प्रतिदिन इंडेंट की गई दवाइयों की आपूर्ति उसी कार्य दिवस में न होने की स्थिति में, कार्यालय अपने विवेकानुसार खुले बाजार में दवाइयां खरीद सकता है। ओपन बाजार से खरीदी गई दवाइयों के वास्तविक मूल्य और वेंडर द्वारा प्रस्तावित रियायत मूल्य के बीच के अंतर को हर माह प्रस्तुत किए जाने वाले बिल से दंड के रूप में काट लिया जाएगा।

3. पैक की गई सप्लाई

आपूर्ति निर्माता की मूल पैकिंग में करना अपेक्षित है। पैकिंग किसी भी दिन मांगी गई किसी विशिष्ट औषधि/दवा की कुल मात्रा के लगभग होना चाहिए।

4. आपूर्ति की जाने वाली दवाओं का जीवन काल

प्रत्येक दवा की अपना अपना जीवन काल होती है जो दवा के लेबल पर उल्लिखित होती है। आपूर्ति की जाने वाली दवा की जीवन काल आपूर्ति के समय इसके जीवन काल के आधे से अधिक समाप्त नहीं होना चाहिए।

5. बिलों की प्रस्तुति :

(i) पैनल किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट को दैनिक आधार पर की गई आपूर्ति के लिए अपने बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत करने होंगे। इंडेंट की गई दवाओं की आपूर्ति बिलों को दवाओं की आपूर्ति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल में प्रत्येक दिन सप्लाई की गई दवाओं का पूर्ण विवरण जैसे मद का नाम, विनिर्माता का नाम, बैच नं., उत्पादन की तारीख और समापन तिथि, संविदा के अनुसार लाभार्थी आईडी नं. तारीख सहित, दर, निविदा के अनुसार छूट आदि सहित दर्शाना होगा।

(ii) बिल के साथ मूल मांग-पत्र जिस पर तारीख सहित डाक्टर के हस्ताक्षर, इंडेंट की गई मदों की प्राप्ति के लिए कार्यालय की मुहर होनी चाहिए। उपर्युक्त (i) में उल्लिखित किसी भी विवरण के बिना प्राप्त होने वाले अधूरे बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आपूर्ति आदेश (सप्लाई ऑर्डर) प्रस्तुत करने की अवधि

संविदा के अनुसार संविदा की अंतिम तारीख तक सप्लाई ऑर्डर दिए जाएंगे। संविदा की शर्तों के अनुसार अंतिम तारीख को भी प्राप्त होने वाले ऑर्डर को पूरा करना होगा भले ही दवाओं की आपूर्ति करने की तारीख को संविदा समाप्त हो गई हो।

7. कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि

इस संविदा के अनुसरण में यदि बाद में यह पाया जाता है कि पैनल में शामिल प्राधिकृत कैमिस्ट को इंडेंट की गई दवाइयों के बदले उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली औषधियां कहीं से चोरी की जाती हैं या गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं तो कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि निम्नलिखित कारणों से भी जब्त की जा सकती है यदि प्राधिकृत कैमिस्ट :-

- (i) संविदा की शर्तों को पालन करने में विफल होता है या
- (ii) घटिया, नकली या अन्य ब्रांड की वैकल्पिक दवाओं की सप्लाई करता है।
- (iii) सप्लाई में विलंब करता है।
- (iv) अधिक प्रभार लेता है।
- (v) यदि कैमिस्ट उप संविदा सहित भ्रष्ट और कपटपूर्ण आचरण में लिप्त पाया जाता है।
- (vi) कैमिस्ट द्वारा औषधियों/दवाओं की सप्लाई 90 दिनों का पूर्व नोटिस दिए बिना बंद नहीं करनी चाहिए।

8. विलंब / चूक के लिए कटौती

8.1 विशिष्ट ब्रांड की दवाइयों के इंडेंट के मामले में, अन्य ब्रांड की दवाइयां प्रतिस्थापित नहीं की जाएंगी। यदि बाद में जांच के दौरान भुगतान के बाद या पहले ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है, तो आपूर्तिकर्ता पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए विशिष्ट ब्रांड की दवाओं की लागत सहित 500/- रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

8.2 मासिक रूप से इंडेंट की जाने वाली सारी दवाइयों की आपूर्ति इंडेंट प्राप्त होने के 2-3 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर में कर दी जाएगी। उपर्युक्त के अनुसार इंडेंट की गई दवाओं की समय

पर आपूर्ति न होने पर, सप्लाई नहीं की गई प्रत्येक मद के लिए 100/- रुपए प्रति मद की दर से जुर्माना लगाया जाएगा (यदि किसी मद को कई बार इंडेंट किया गया हो तब भी एक बार ही कटौती की जाएगी)। तथापि, 'उपलब्ध नहीं' मदों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई मद शहर में उपलब्ध नहीं (एन.ए.) है, तो "उपलब्ध नहीं" के संबंध में आयोग के डाक्टर द्वारा पता लगाया जाएगा।

8.3 दैनिक रूप से इंडेंट की जाने वाली दवाईयां महत्वपूर्ण प्रकृति की होती हैं और उक्त दवाईयों को उसी कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय के दौरान आपूर्ति की जानी चाहिए। उसी कार्य दिवस को दैनिक रूप से इंडेंट की गई दवाईयों को आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, यह कार्यालय अपने विवेक से खुले बाजार से इसकी खरीद कर सकता है। खुले बाजार से खरीदी गई दवाईयों के वास्तविक मूल्य और विक्रेता द्वारा प्रस्तावित छूट मूल्य के बीच का अंतर जुर्माने के तौर पर मासिक रूप से प्रस्तुत बिल से काट लिया जाएगा।

8.4 यदि इस तरह के चूक के मामले एक तिमाही में तीन बार से अधिक बार संज्ञान में आते हैं तो आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक सप्लाई नहीं किए गए मद के लिए रूपये 100/- से दंडित किया जाएगा।

9. चूक होने पर संविदा समाप्त होना

संघ लोक सेवा आयोग, संविदा के उल्लंघन के किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता को चूक के लिए लिखित सूचना भेजकर संपूर्ण संविदा को या उसके किसी भाग को समाप्त कर सकता है:-

- क. यदि बोलीदाता संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि (अवधियों) के भीतर सभी या किसी सेवा को प्रदान करने में विफल रहता है।
- ख. यदि बोलीदाता संविदा के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।
- ग. संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार यदि बोलीदाता ने उप-संविदा सहित संविदा की प्रतिस्पर्धा करने या इसके निष्पादन में भ्रष्ट और कपटपूर्ण संव्यवहार में शामिल है।

10. दवाईयों की आपूर्ति :

10.1 संघ लोक सेवा आयोग को असुविधा न हो इसके लिए कैमिस्ट को हर समय मानक गुणवत्ता वाली दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा।

10.2 इस निविदा दस्तावेज के संगत खंडों में प्रावधान किए अनुसार निर्धारित समय के भीतर यदि कैमिस्ट खरीददार/लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति करने में विफल रहता है या आपूर्ति के लिए मना करता है तो कैमिस्ट के जोखिम और लागत पर संविदा को समाप्त / रद्द किया जा सकता है। वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की व्यवस्था में होने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत को कैमिस्ट से वसूल किया जाएगा। यह खंड 8.3 और 8.4 में की जाने वाली किसी कटौती के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी।

10.3 कैमिस्ट द्वारा आयोग कार्यालय को औषधियों / दवाओं की आपूर्ति करते समय इंडेंट शीट के संगत कालमों में इंडेंट की गई औषधियों का बैच नं., विनिर्माता का नाम, औषधियों की अंतिम / समापन तिथि को सूचित किया जाएगा।

10.4 (क) आपूर्ति की जाने वाली औषधियां/दवाईयां मानक गुणवत्ता वाली होंगीं। यदि यह पाया जाता है कि दवाई/औषधि की अंतिम तिथि पार हो गई है या होने वाली है, मानक गुणवत्ता वाली नहीं पाई गई है, घटिया और नकली है, तो आपूर्तिकर्ता फर्म (पैनल में नियुक्त किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट) के खिलाफ़ अन्य कानूनी कार्रवाई जो कानून के अनुसार की जाती है, के अतिरिक्त उन्हें 3 वर्षों के लिए विवर्जित किया जा सकता है। यदि आपूर्तिकर्ता इंडेंट की गई दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करने में विफल हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग उन्हें किसी अन्य कैमिस्ट से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा और आपूर्तिकर्ता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, कैमिस्ट को सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार केवल उसी राशि का दावा करने की अनुमति दी जाएगी जो दवाईयों के लिए उसे देय होगी।

10.4 (ख) विशिष्ट ब्रांड की औषधियों की मांग किए जाने के मामले में किसी अन्य ब्रांड की दवाईयों से उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । यदि भुगतान के बाद या उसके पहले जांच में ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तो ऐसी प्रत्येक चूक के लिए इंडेंट की गई विशिष्ट ब्रांड की दवाईयों की लागत के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को 500/- रुपए का जुर्माना देना होगा।

11. अनिवार्य बाध्यता :

यदि आपूर्तिकर्ता अनिवार्य बाध्यता के कारण संविदा के तहत कार्य-निष्पादन में विलंब कर देता है या अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी अन्य प्रकार से विफल रहता है, अर्थात् आपूर्तिकर्ता

के नियंत्रण से बाहर की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है और आपूर्तिकर्ता का कोई दोष या लापरवाही नहीं थी और न ही वह इसे पहले से जान पाया था तो आपूर्तिकर्ता की कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त नहीं की जाएगी, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा या चूक के कारण संविदा समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसी स्थितियों में, क्रेता की संप्रभुता या संविदात्मक क्षमता, युद्ध या क्रांतियां, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल-भाड़ा सम्मिलित हो सकते हैं परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि अनिवार्य बाध्यता की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपूर्तिकर्ता लिखित में ऐसी परिस्थिति और इसके कारणों के संबंध में क्रेता को शीघ्रता से सूचित करेगा। जब तक कि खरीददार द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, तब तक आपूर्तिकर्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का, जहां तक यथोचित व्यावहारिक हो, निर्वहन करेगा और अनिवार्य बाध्यता से बचने के लिए सभी उचित वैकल्पिक उपायों का पता लगाएगा।

12. क्षतिपूर्ति

बोलीदाता संघ लोक सेवा आयोग को सभी कार्रवाईयों, मुकदमों, दावों और की गई मांगों के लिए इस संविदा के कार्य के निष्पादन या उसके संबंध में बोलीदाता द्वारा किए गए या करने की वचनबद्धता के संबंध में इसके विरुद्ध की गई तथा इस संविदा के निष्पादन में किए गए या करने के लिए वचन दिए गए किसी भी कार्य के लिए बोलीदाता के विरुद्ध की गई किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। बोलीदाता द्वारा भारत में लागू कार्य सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा और वह संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों और जिम्मेदारियों से मुक्त करेगा जो बोलीदाता की लापरवाही के कारण हुई हो। बोलीदाता संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा और संघ लोक सेवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा या उसके लिए बाध्य नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से और बोलीदाता की संपूर्ण लागत पर ऐसे मुकदमे में बोलीदाता के साथ संयुक्त रूप से या यदि बोलीदाता मामले में प्रतिवाद नहीं करना चाहता है तो अकेले प्रतिवाद करेगा।

13. भुगतान

प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट बिलों के भुगतान के लिए अपने दावों को माह में एक बार प्रस्तुत करेगा। सामान्यतः प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान बिल प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 से 3 सप्ताह में कर दिया जाएगा, तथापि, यदि किसी कारण से भुगतान में विलंब होता है तो प्राधिकृत कैमिस्ट द्वारा ब्याज या नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए बोलीदाता को बैंक का पता, खाता सं. आदि से संबंधित अपेक्षित विवरण देना चाहिए।

14. मध्यस्थता

“(i) पक्षकारों के बीच इसके लिए किसी प्रकार का विवाद या मतभेद होने की स्थिति में, ऐसे विवादों या मतभेदों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि ऐसा समाधान संभव नहीं होता है तो अनसुलझे विवाद या मतभेद को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 (1966 का संख्या 26) के प्रावधान, मध्यस्थता पर लागू होंगे। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली या ऐसा कोई स्थान होगा जो मध्यस्थ द्वारा तय किया जाए। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। मध्यस्थ द्वारा उचित अधिनिर्णय किया जाएगा (‘अधिनिर्णय’) जो दोनों पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की लागत करार के पक्षकारों में समानरूप से बांटी जाएगी। तथापि, इस संबंध में की गई तैयारी, प्रस्तुति पर प्रत्येक पक्षकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को पक्षकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद, मतभेद या दावे की प्रस्तुति और / या निर्णय या मध्यस्थ अधिनिर्णय का प्रकाशन लंबित रहने तक, पक्षकार ऐसे अधिनिर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का निष्पादन करते रहेंगे”।

15. नोटिस

15.1 इस संविदा के अनुसरण में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा लिखित में या प्रतिकृति द्वारा भेजा जाएगा और जिसकी पुष्टि दूसरे पक्षकार के पते पर डाक द्वारा निम्नानुसार मूल प्रति भेजकर की जाएगी :-

संघ लोक सेवा आयोग *: सचिव, संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069

बोलीदाता *: _____

15.2 नोटिस इसके सुपुर्द होने या उसके प्रभावी होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से नोटिस प्रभावी होगा।

(टी. थियानखनमुआन)
अवर सचिव (सामान्य-1)
संघ लोक सेवा आयोग

निविदा स्वीकृति पत्र
(कंपनी के पत्र शीर्ष (लेटर हैड) पर दिया जाए)

तारीख : _____

सेवा में

विषय : निविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ सं. : _____

निविदा/कार्य का नाम - संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय को दवाइयों की आपूर्ति।

महोदय,

मैंने/हमने ऊपर उल्लिखित वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार वेबसाइट अर्थात् _____ से ऊपर उल्लिखित 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज डाउनलोड / प्राप्त कर लिया है।

2. मैं / हम एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मैंने / हमने पृष्ठ सं. _____ से _____ तक (अनुबंध (अनुबंधों), अनुसूची (अनुसूचियों) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) के निविदा दस्तावेजों, जो निविदा करार का भाग हैं, के सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और मैं / हम उनमें निहित निबंधन / शर्तों / खंडों का एतद्वारा पालन करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग / संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र (पत्रों) को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम ऊपर उल्लिखित निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों)/शुद्धि पत्र (पत्रों) की निविदा शर्तों को बिना किसी शर्त के पूर्ण/समग्र रूप में स्वीकार करता हूं/करते हैं।

5. इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या प्रतिविधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त पूरी धरोहर जमा राशि जब्त करने सहित इस निविदा / बोली को रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय,
(बोलीदाता के हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मोहर)

**संघ लोक सेवा आयोग के लिए कैमिस्टों को पैनलबद्ध करना
कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रपत्र (पी एस एफ)**

सेवा में,

सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली

जबकि (सफल बोलीदाता का नाम) जिसे बाद में "सफल बोलीदाता" कहा गया है, ने द्वारा जारी दिनांक के निविदा दस्तावेज के अनुसरण में (सेवाओं का विवरण) इसके बाद "संविदा" कहा गया है, के लिए क्रय संविदा संख्या.....दिनांक के लिए वचनबंध किया है।

और जबकि यह निविदा दस्तावेज़ की एक शर्त है कि सफल बोलीदाता को संविदा में शामिल होने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि आपके द्वारा उक्त निविदा में यह निर्धारित किया गया है कि सफल बोलीदाता को निविदा के अनुसरण में सफल बोलीदाता की कार्य निष्पादन बाध्यताओं के अनुपालन हेतु उसमें सुरक्षा राशि के रूप में निर्धारित राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि हम, सफल बोलीदाता के लिए गारंटी देने के लिए सहमत हैं।

अतः हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि हम गारंटीदाता हैं और रू. (केवल रूपए) की कुल राशि आपको प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी हैं और हम वचन देते हैं कि सफल बोलीदाता को संविदा के तहत चूक किए जाने की घोषणा करते हुए आपके द्वारा पहली लिखित मांग किए जाने पर और बिना किसी आपत्ति झूठा इल्जाम (डीमर केविल) या तर्क के उपर्युक्त राशि की सीमा में आने वाली किसी भी रकम या अधिक रकम का तत्काल भुगतान करेंगे और इस संबंध में आपकी मांग या उसमें विनिर्दिष्ट रकम के लिए आपको साबित करने के आधार या कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।

आपके कार्यालय से इस आशय का पत्र कि सफल बोलीदाता ने संविदा के अनुसार या इसके तहत अपने सभी या किसी दायित्व का उपयुक्त एवं विश्वसनीय कार्य निष्पादन में चूक की है - हमारे लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। हम इससे भी सहमत हैं कि आप इस संबंध में एकमात्र निर्णायक होंगे कि संविदा के तहत इसके दायित्वों के मामले में उपयुक्त एवं विश्वसनीय कार्य निष्पादन में सफल बोलीदाता से चूक हुई है तथा आपका यह निर्णय है कि उनसे चूक हुई है - हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा चाहे आपके और सफल बोलीदाता के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो या किसी मध्यस्थ या किसी अन्य अदालत या अधिकरण या प्राधिकरण में किसी प्रकार का विवाद लंबित हो।

इस गारंटी को कार्यान्वित करने हेतु आप इस रूप में कार्य करने के हकदार हैं मानों हम प्रधान कर्जदार हैं और हमारे गठन में किसी प्रकार के फेरबदल से इस गारंटी या सफल बोलीदाता इस गारंटी के तहत किसी भी तरह से अथवा किसी भी रूप में हमारे दायित्व या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेंगे। इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना आपके किसी भी समय संविदा की निबंधन एवं शर्तों को परिवर्तित करने या इसके अनुपालन हेतु समय या अवधि को बढ़ाने या अपने किसी अधिकार के प्रयोग को कभी स्थगित करने या संविदा की किन्हीं शर्तों, निबंधन या शर्त को प्रवर्तित नहीं करने का अधिकार होगा तथा इस गारंटी के तहत आपके द्वारा ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग करने अथवा आपकी ओर से अन्य तरह से बचे रहने या अन्य कार्य में संलिप्त रहने अथवा चूक की वजह से हम अपने दायित्वों अथवा कर्तव्य से मुक्त नहीं होंगे। हम इस अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।

हमें संबोधित अनुरोध, मांग अथवा अन्यथा इसके तहत किसी भी रूप में कोई नोटिस डाक द्वारा उपर्युक्त संदर्भित शाखा पर भेजा जाए जो ऐसे नोटिस को प्राप्त करने तथा इसका तत्काल भुगतान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत समझी जाएगी। यदि यह नोटिस डाक द्वारा भेजा जाए तो यह माना जाएगा कि इसकी सुपुर्दगी डाक द्वारा उपर्युक्त समय पर तब की गई है जब यह नोटिस डाक द्वारा सही समय पर भेजा जाना चाहिए था। डाक द्वारा ऐसा नोटिस देते समय यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि नोटिस वाला लिफाफा डाक द्वारा ही भेजा गया था और आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी प्रमाण पत्र कि लिफाफा डाक द्वारा भेजा गया था, निर्णायक होगा।

यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में आपके द्वारा जारी किए जाने तक या संविदा की वैधता के बाद छह माह के लिए लागू एवं प्रभावी रहेगी।

..... दिन माह 20 को हस्ताक्षर कर एवं मुहर लगाई गई।

हस्ताक्षरित, मोहरबंद एवं सुपुर्दगी की गई

कृते और की ओर से (बैंक का नाम) द्वारा

(हस्ताक्षर:)

(नाम:)

(पदनाम:)

(पता:)

**संघ लोक सेवा आयोग में कैमिस्ट का पैनल तैयार करने के लिए कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि
बोलीदाता की घोषणा**

प्रेषक :

फोन / फ़ैक्स, मोबाइल नं. और ई-मेल पता सहित बोलीदाता का पूरा पता :

सेवा में

सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली -110069

महोदय,

मैं / हम बोली सूचना में इंगित किए अनुसार एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग को दवाईयों/ औषधियों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव कर रहा हूं / रहे हैं; आप संलग्न मूल्य बोली में दी गई दर पर बोली स्वीकार करने और तक इस प्रस्ताव को खोलने के लिए सहमत हूं / हैं। मैं / हम निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति की सूचना अवश्य प्रेषित कर दूंगा / देंगे।

2. मैंने / हमने बोलीदाताओं के लिए अनुदेश और संविदा की शर्तों की जानकारी ले ली है और इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता / करते हूं / हैं।

3. मैं / हम अपेक्षित दवाईयों / औषधियों की प्रकृति से पूर्ण रूप से अवगत हूं / हैं और मेरा / हमारा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार ही दवाईयों/ औषधियों की आपूर्ति करने का है।

4. मैं / हम स्थानीय खरीद मांग-पत्रों में दिए गए नामकरण , विनिर्देशों और पैकेजों के अनुसार मानक गुणवत्ता वाली दवाईयों / औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सहमत हूं /हैं।

5. मैं / हम इस बात से सहमत हूं / हैं कि पूर्वोक्त आपूर्ति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

6. मेरी / हमारी दुकान संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली से 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थित है।

7. मेरी / हमारी फर्म पर राज्य औषधि प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अधीन कोई मामला लंबित नहीं है।

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम:
पता:
दिनांक:/...../.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम:
पता:
दिनांक:/...../.....

संघ लोक सेवा आयोग को दवाईयों / औषधियों की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज़ का फार्मेट

मूल्य बोली

(डाउन लोड तथा बी ओक्यू फॉर्मेट में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए)

- महत्वपूर्ण टिप्पणी : (1) कोई भी बोलीदाता 15% से कम छूट उद्धृत नहीं कर सकता है।
 (2) इस छूट में वृद्धि 15.20%, 16.40%, 18.23% के क्रम में होनी चाहिए, उदाहरण के लिए छूट 16%, 6.10%, 16.23%
 और इसी क्रम में दी जा सकती है।

मैं / हम एतद्वारा नीचे बताए अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर छूट के साथ अस्पताल को दवाईयों / औषधियों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता हूँ/ करते हैं :-

- (1) आपूर्ति की सभी मदों पर मुद्रित खुदरा मूल्य में दी जाने वाली एक समान छूट:-

क्रम सं.	मद का नाम	अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर पेश की जाने वाली छूट की प्रतिशतता	
		अंकों में	शब्दों में
1.	औषधियां / दवाईयां	बी ओ क्यू फॉर्मेट में उद्धृत दर	ऑटो पोपुलेटेड

- (2) मैं आपूर्ति की सभी मदों पर मुद्रित खुदरा मूल्य संबंधी छूट की उपर्युक्त उद्धृत दर को एक वर्ष तक वैध रखने का वचन देता हूँ और संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर एक वर्ष समाप्त होने के बाद और एक वर्ष के लिए इसे वैध रखा जा सकेगा ।

हस्ताक्षर

नाम

रबड़ की मोहर